

681-EI 2614
11-12-15 10/12/15

Immediate
Date Bound

Government of Haryana
General Administration Department
General Services-I Branch
No. 02/08/2015-2GS-I

Dated Chandigarh, the 9th December, 2015

To


1. All the Administrative Secretaries in Haryana State.
2. All the Heads of Departments in Haryana State.
3. The Divisional Commissioner, Ambala/ Hisar/ Rohtak /Gurgaon Division.
4. The Registrar, Punjab and Haryana High Court, Chandigarh.
5. All the Deputy Commissioners in Haryana State.

Subject:- Submission of Annual Property Return by the Government employees .

Sir/Madam,

I am directed to invite your attention towards rule 18 of the Government Employees (Conduct) Rules, 1966, amended from time to time, which require filing of annual property return by Class I, II and III Government employees (except All India Services Officers, who are covered under AIS rules).

It has been observed that the annual property return is not being filed by the Government employees regularly. The Government has decided to closely monitor the filing of Property Return by Class-I and II Government employees. You are, therefore, requested to obtain a report in respect of Class-I and II officers (except All India Services Officers) working under your control, who have not submitted their annual property return for the year 2014-15 and intimate the number of such officers to the Government within a period of three weeks i.e. by 31.12.2015 positively.


Under Secretary General Administration,
for Chief Secretary to Government, Haryana

Continue on page-2

कृषि निदेशालय, हरियाणा पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक 14983-15005 स्था0-1(2) दिनांक 15/12/2015

इसकी एक प्रति राज्य स्थित सभी उप कृषि निदेशको को भेजकर लिखा जाता है कि सरकार के पत्र क्रमांक 02/08/2015-2 GS-I दिनांक 09-12-2015 अनुसार श्रेणी-1 एवं श्रेणी-1A अधिकारियों (उप मण्डल कृषि अधिकारी एवं समकक्ष, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी एवं समकक्ष, सहायक भू0 वैज्ञानिक, सहायक कृषि अभियन्ता) बारे मांगी गई Annual Property Return अपने-अपने जिले में स्थित कृषि विभाग के सभी कार्यालयों से प्राप्त करके एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर (दिनांक 18-12-2015 तक) अवश्य ही निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करे ताकि सरकार को सूचना भेजी जा सके।

संयुक्त निदेशक(प्रशा0)
कृते: कृषि निदेशक हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक 15006-15 / स्था0-1(2) दिनांक 15/12/15

इसकी एक प्रति निम्न को आवश्यक कार्यावाही हेतु भेजी जाती है-

1. सभी अतिरिक्त कृषि निदेशक हरियाणा, पंचकूला।
2. सभी संयुक्त कृषि निदेशक हरियाणा, पंचकूला।
3. संयुक्त कृषि निदेशक(भू0प0) करनाल।
4. संयुक्त कृषि निदेशक(कपास) सिरसा।
5. उप कृषि निदेशक (पौ0स0) पंचकूला।

संयुक्त निदेशक(प्रशा0)
कृते: कृषि निदेशक हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक 15016-105 स्था0-1(2) दिनांक 15/12/15

इसकी एक प्रति राज्य स्थित सभी अधीनस्थ कार्यालयों को अविलम्ब आवश्यक कार्यावाही हेतु भेजी जाती है।

संयुक्त निदेशक(प्रशा0)
कृते: कृषि निदेशक हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक 16108-131 स्था0-1(2) दिनांक 15/12/15

इसकी एक प्रति निदेशालय स्थित सभी श्रेणी-1 व श्रेणी-1A अधिकारियों को भेजकर लिखा जाता है अपनी-अपनी Annual Property Return अविलम्ब उपलब्ध करवाने का कष्ट करें ताकि सूचना सरकार को भेजी जा सके।

संयुक्त निदेशक(प्रशा0)
कृते: कृषि निदेशक हरियाणा।